संख्याः 87 /xxx (2)/2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 2 | जनवरी, 2006

विषयः राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती/पदोन्नात म आरक्षण के लिए पद आधारित रोस्टर लागू किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 04 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत तथा पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत तथा अनुसूचेत जनजाति को 04 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य कराया गया है ।

2– आरक्षण नीति को लागू करने के लिए शासनादेश संख्याः 1454/कार्मिक–2/2001 दि0 31 अगस्त 2001 तथा शासनादेश संख्याः 1455/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा रोस्टर का निर्धारण किया गया है तथा शासनादेश संख्याः 1168/कार्मिक–2/2003 दिनांक 14 अगस्त 2003 एवं शासनादेश संख्याः 269/कार्मिक–2/2004 दिनांक 17 फरवरी 2004 द्वारा रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं । कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1801/कार्मिक–2/2002 दिनांक 23 जून 2003 में भी कतिपय निर्देश दिये गये हैं ।

3– कतिपय मामलों में परीक्षण के समय यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि रोस्टर का रजिस्टर संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर तैयार किया जा रहा है और उसी के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए रोस्टर की गणना की जा रही है । राज्याधीन सेवाओं में रोस्टर के निर्धारण के संबंध में आर0 के0 सब्बरवाल व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में (साइटेशन) में दिनांक 10.02.1995 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि सेवाओं में आरक्षण का रोस्टर प्रत्येक संवर्ग में पद आधारित होना चाहिए न कि रिक्ति आधारित । यह भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण कोटा जिस वर्ग हेतु जितना निर्धारित है, रोस्टर के द्वारा उसे पूर्ण करना चाहिए तथा उस वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत से

अधिक पद आरक्षित नहीं होने चाहिए । प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लिए एक बार वांछित आरक्षण का प्रतिशत प्राप्त हो जाने पर रोस्टर का प्रयोग बन्द कर देना चाहिए । तदोपरान्त जिस वर्ग का व्यक्ति संवर्ग प्रकम से हटता है और स्थान रिक्त करता है उस वर्ग के व्यक्ति से, सीधी भर्ती/पदोन्नति जैसी भी स्थिति हो, पद भर लेना चाहिए । रोस्टर केवल विभिन्न वर्गों को उनके लिए आरक्षित कोटा भरने में मदद करने के लिए है न कि वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ।

4– शासनादेश संख्याः 1454/कार्मिक–2/2001 दि0 31 अगस्त 2001 व शासनादेश संख्याः 1455/कार्मिक–2/2001 दिनांक 31 अगस्त 2001 द्वारा सीधी भर्ती व पदोन्नति के लिए रोस्टर जारी किये गये हैं । इन रोस्टरों का उपयोग आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त करने के लिए किया जायेगा । रोस्टर का उपयोग तब तक ही किया जायेगा जब तक आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक प्राप्त न हो। परन्तु यह भी ध्यान रखा जायेगा कि आरक्षित वर्गों का सकल प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

5– मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पद आधारित रोस्टर हेतु राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण के लिए रोस्टर लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किये जा रहे हैं:–

(क) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक–पृथक रोस्टर होगा । रोस्टर गठित करने के दो आधारभूत सिद्धान्त हैं कि सम्बन्धित आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशत तक हो तथा सकल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक न हो । किसी वर्ग के लिए आरक्षण पूर्ण होने पर रोस्टर आगे नहीं चलाया जायेगा । परन्तु यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति ज्येष्ठताकम में आने पर अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध श्रेष्ठता/मेरिट के आधार पर पदोन्नत होता है तो उसकी गणना अनारक्षित रिक्ति के सापेक्ष की जायेगी । परन्तु यदि अनारक्षित वर्ग के पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के सिद्धान्त से की गयी हो तो उसकी गणना आरक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध की जायेगी ।

(ख) संवर्गो में सभी पद, पद–आधारित रोस्टर के अनुरूप रखे जायेंगे । प्रारम्भिक स्तर पर इन पदों के विरूद्ध संबंधित वर्ग, जिसके लिए पद चिन्हांकित है, के अनुसार भर्ती की जायेगी तथा प्रारम्भिक रूप से भरे पदों का बाद में प्रतिस्थापन रोस्टर के अगले बिन्दु पर, जिस वर्ग के लिए पद चिन्हांकित है, किया जायेगा । परन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि अगला बिन्दु जिस वर्ग के लिए चिन्हांकित है, उस वर्ग का यदि प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है तब अगले बिन्दु को छोड़ दिया जायेगा और उसके आगे का बिन्दु जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, उसके अनुसार भर्ती की जायेगी ।

(ग) रोस्टर प्रारम्भ करते समय विभिन्न वर्गों का वास्तविक प्रतिनिधित्व संवर्ग प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा । रोस्टर प्रारम्भ करते समय जिस वर्ग का व्यक्ति

संवर्ग प्रकम पर है, उसे रोस्टर के संबंधित बिन्दु पर रोस्टर के प्रारम्भ की ओर से रखा जायेगा । रोस्टर प्रारम्भ करते समय संवर्ग प्रकम पर कार्यरत व्यक्तियों को रोस्टर बिन्दुओं पर रखने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति जो "श्रेष्ठता/मैरिट" के आधार पर सीधे भर्ती हुआ है, की गणना अनारक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(घ) उपरोक्तानुसार समायोजन करने के बाद विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत की गणना की जायेगी । इसके उपरान्त ही पता चल पायेगा कि किस संवर्ग (काडर) में किस वर्ग की संख्या कम है अथवा अधिक है । अगर किसी आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व उनके लिए निर्धारित प्रतिशत से अधिक है तो उसे अतिरिक्त की भर्तियों में समायोजित किया जायेगा ।

(च) सीधी भर्ती पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भर्ती वर्ष में रिक्तियों की वास्तविक संख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद आधारित रोस्टर में रिक्त रहे, बिन्दुओं के बराबर होगी ।

(छ) सामान्यतः किसी संवर्ग में पदों की संख्या निर्धारित होती है । ऐसे संवर्ग में रोस्टर तैयार करते समय संबंधित सेवा नियमों में उस पद पर की जाने वाली भर्ती के स्रोत को ध्यान में रखा जाय, उदाहरण के लिए– यदि किसी संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 200 है जिसमें सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा 50–50 निर्धारित है, तो वहाँ सीधी भर्ती के लिए रोस्टर 100 पदों के लिए तथा पदोन्नति के लिए रोस्टर 100 पदों के लिए निर्धारित किया जायेगा।

(ज) विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण, रोस्टर द्वारा पूर्ण कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्ति या अन्य प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर जिस वर्ग के व्यक्ति द्वारा वह पद रिक्त किया गया है, उसी वर्ग के व्यक्ति से ही उस पद को भरा जायेगा, अर्थात् यदि अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो अनारक्षित वर्ग से व यदि आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वारा पद रिक्त किया गया है तो सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के व्यक्ति से ही पद भरा जायेगा । सभी संवर्गो में कार्यवाही (ख) के अनुसार की जायेगी ।

(झ) किसी भी संवर्ग या प्रकम में सिर्फ एक ही पद हो तो सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति के उस प्रकम पर एकल पद पर आरक्षण नहीं होगा । चकानुकम में भी आरक्षण नहीं किया जा सकेगा ।

(ट) महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को क्षैतिज (horizontal) आरक्षण निर्धारित प्रतिशतों में अनुमन्य है । क्षैतिज आरक्षण के अनुसार महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांगों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सामान्य व प्रत्येक आरक्षित वर्ग में पदों को

संख्या की गणना कर लेनी चाहिए । विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण की सुविधा उनके लिए चिन्हित पदों के विरूद्ध चयन में ही अनुमन्य है ।

(ठ) नियुक्ति/पदोन्नति के तत्काल बाद सम्बन्धित प्रविष्टि रोस्टर में अंकित की जायेगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

6— यह आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे परन्तु जिन मामले में चयन प्रकिया पूर्ण हो चुकी हो वह अप्रभावित रहेगी और बाद में ऐसे मामलों में समायोजन कर लिया जायेगा ।

7— अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न सेवा संवर्गो में रोस्टर रजिस्टर तैयार किये जाने के संबंध में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।